

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल—cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांक: न-9/सीएफओ(स्कू0भ0मा0)—D-PO-62-2024
सेवा में,

दिनांक: मार्च 12, 2024

स्वामी/प्रधानाचार्य

M/S J.B. INTERNATIONAL SCHOOL THOROUGHIT'S SECRETARY LESSEE
SH. VISHVANATH GAUR S/O LATE SH. VIRENDRA PRAKASH GAUR AND
LESSOR MRS.GEETA GAUR W/O SH. VISHVANATH GAUR
KH. NO-2539, MAUZA-RANJHAWALA RAIPUR, PARGANA-PARWADOON
जनपद—देहरादून।

विषय

शैक्षणिक भवन (PRIMARY/ JUNIOR HIGH SCHOOL) में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्ण संचालन प्रमाण पत्र (Pre-Operational) के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं0-82132926 दिनांक 09.03.2024 के अन्तर्गत M/S J. B. INTERNATIONAL SCHOOL THOROUGHIT'S SECRETARY LESSEE SH. VISHVANATH GAUR S/O LATE SH. VIRENDRA PRAKASH GAUR AND LESSOR MRS.GEETA GAUR W/O SH. VISHVANATH GAUR, KH. NO-2539, MAUZA-RANJHAWALA RAIPUR, PARGANA-PARWADOON, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 12.03.2024 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः M/S J. B. INTERNATIONAL SCHOOL THOROUGHIT'S SECRETARY LESSEE SH. VISHVANATH GAUR S/O LATE SH. VIRENDRA PRAKASH GAUR AND LESSOR MRS.GEETA GAUR W/O SH. VISHVANATH GAUR, KH. NO-2539, MAUZA-RANJHAWALA RAIPUR, PARGANA-PARWADOON, जनपद देहरादून को शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 12 मार्च 2024 से 11 मार्च 2027 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:—

1. प्रश्नगत भवन का मानचित्र प्राईमरी/जूनियर हाई स्कूल में (भूतल एवं अग्रेत्तर दो तल) स्वीकृत है। यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन का उपयोग अन्य प्रयोजन (हॉस्पिटल/नर्सिंग होम आदि) हेतु किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।
2. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियों सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए।
3. आपके शैक्षणिक संस्थान के सभी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
4. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धक की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः स्वामी/प्रबन्धक को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
5. शैक्षणिक भवन के विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
6. शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
7. शैक्षणिक भवन में संचालित लैब (कैमैस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
8. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह स्वामी/प्रबन्धक की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।

(वी0बी0 यादव) 21/3/23
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।